

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मई, 2020

का.आ. 1840(अ).—केंद्र सरकार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2012 (2012 का 37) द्वारा यथा-संशोधित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 (1956 का 25) की धारा 7 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा डॉ. एस.सी. शर्मा, पूर्व विभागाध्यक्ष, ऑटोलेरिंगोलॉजी एवं हेड तथा नेक सर्जरी, एम्स, दिल्ली को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, बठिंडा का अध्यक्ष नामित करती है।

[फा. सं. जेड-28016/170/2018-पीएमएसएसवाई-IV]

सुनील शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th May, 2020

S.O. 1840(E).—In exercise of the power conferred by section 7 (1) of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956 (25 of 1956), as amended by the All India Institute of Medical Sciences (Amendment) Act, 2012 (37 of 2012), the Central Government hereby nominates Dr. S.C. Sharma, former Head Otolaryngology and Head & Neck Surgery, AIIMS Delhi, as President of the All India Institute of Medical Sciences, Bathinda.

[F.No. Z-28016/170/2018-PMSSY-IV]

SUNIL SHARMA, Jt. Secy.